



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270490
CG-DL-E-25022026-270490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 143]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन)
विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.135.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 में, खंड (जख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जख) “उचित मूल्य” से यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी का प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य या कारपोरेट ऋणी की आस्तियां अभिप्रेत हैं, यदि उनका दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को एक इच्छुक क्रेता और एक इच्छुक विक्रेता के बीच किसी निष्पक्ष संव्यवहार में, समुचित विपणन के पश्चात् विनिमय किया जाना हो और जहां पक्षकारों ने जानकारी, बुद्धिमानी से और विवशता के बिना कार्य किया हो।

स्पष्टीकरण – कारपोरेट ऋणी के प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य की संगणना, कारपोरेट ऋणी की समस्त आस्तियों के कुल प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी, जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त आस्तियां, उनकी अंतर्निहित सहक्रियाओं सहित, शामिल हैं किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं।”

3. मूल विनियमों के विनियम 27 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) समाधान व्यावसायिक, अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर किन्तु दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से सैंतालीसवें दिन के अपश्चात्, विनियम 35 के अनुसार उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के दो समूहों की नियुक्ति करेगा।”

4. मूल विनियमों के विनियम 35 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) विनियम 27 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के समूह में कारपोरेट ऋणी के प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक शामिल होगा और प्रत्येक समूह के भीतर एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को समाधान व्यावसायिक द्वारा, समिति के परामर्श से, कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य की संगणना करने के लिए उस समूह के लिए समन्वयक मूल्यांकक के रूप में अभिहित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण – खंड (क) के प्रयोजनार्थ, “आस्ति वर्ग” से कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) विनियम, 2017 के अधीन उपबंधित परिभाषा अभिप्रेत है;

(ख) समाधान व्यावसायिक एक ऐसी बैठक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जिसके अंतर्गत समन्वयक मूल्यांकक भी हैं, प्राक्कलनों की संगणना करने से पूर्व, समिति के सदस्यों को, मूल्यांकन करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को स्पष्ट करेंगे;

(ग) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, कारपोरेट ऋणी की माल-सूची और नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, समाधान व्यावसायिक और उनके संबंधित समूह के समन्वयक मूल्यांकक को, बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से यथा—अधिसूचित मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(घ) किसी समूह का समन्वयक मूल्यांकक, उस समूह के भीतर रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा यथा-संगणित आस्तियों के उचित मूल्य पर विचार करने के पश्चात्, जिसमें उनकी अंतर्निहित सहक्रियाएं भी हैं, कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य की संगणना करेगा और उसे समाधान व्यावसायिक को प्रस्तुत करेगा;

(ङ) समाधान व्यावसायिक, इस विनियम के अधीन उपबंधित रीति में संगणित उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का तीसरा समूह नियुक्त कर सकेगा, जहां:

- (i) कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य या परिसमापन मूल्य के दो प्राक्कलन महत्वपूर्ण से भिन्न-भिन्न हैं, या
- (ii) समिति, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का तीसरा समूह नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है;

स्पष्टीकरण – खंड (ड) के प्रयोजनार्थ, “महत्वपूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न” से, यथास्थिति, समन्वयक मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत उचित मूल्य या परिसमापन मूल्य में पच्चीस प्रतिशत या उसके अधिक का अंतर अभिप्रेत है।

- च) समन्वयक मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत उचित मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के उचित मूल्य के रूप में समझा जाएगा; और
- (छ) प्रत्येक आस्ति वर्ग में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत परिसमापन मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों के औसत को कारपोरेट ऋणी के परिसमापन मूल्य के रूप में समझा जाएगा।”

5. मूल विनियमों के विनियम 35 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 “(1क) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे दस्तावेजों को बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित प्ररूप के अनुसार रखेगा।”

6. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (2) में, -

(i) खंड (क) में, “आवश्यक है।” शब्दों और चिह्न के स्थान पर “आवश्यक है;” शब्द और चिह्न रखा जाएगा।

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(कक) कारपोरेट ऋणी के प्राप्यों के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत व्यापार प्राप्य, अंतर-कारपोरेट प्राप्य और किसी संविदा के अधीन उद्भूत होने वाले प्राप्य भी हैं;

(कख) संयुक्त विकास करारों और अन्य समरूप सहयोग या सह-विकास ठहरावों के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत उनके अधीन उद्भूत होने वाले कारपोरेट ऋणी के अधिकार, बाध्यताएं और हित भी हैं;

(कग) ऐसी आस्तियों के ब्यौरे, जो प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा कुर्की के अधीन हैं, जिनके अधीन कुर्क की गई आस्तियों की विशिष्टियां, वह प्राधिकारी जिसने कुर्क की हैं और ऐसी कार्यवाहियों की प्रास्थिति भी है;”

(iii) क्रमशः खंड (ज) में, “पता चलता है।” शब्दों और चिह्न के स्थान पर “पता चलता है;” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

(iv) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जक) ऐसे सभी आबंटितियों के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत उनके नाम, देय रकमों और आबंटित इकाई भी हैं, जिनके दावे या तो कारपोरेट ऋणी की लेखा-बहियों में या भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के अधीन यथा-स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अभिलेख में प्रतिबिंबित होते हैं किन्तु उन्होंने समाधान व्यावसायिक को अपने-अपने दावों प्रस्तुत नहीं किए हैं;”

(v) खंड (ट) में “विकास के प्रमुख संचालक।” शब्दों और चिह्न के स्थान पर “विकास के प्रमुख संचालक; और” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

(vi) खंड (टक) के परन्तुक में, “।” चिह्न के स्थान पर “; और” चिह्न और शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियमों में, विनियम 38 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“38क. दावे फाइल न करने वाले आबंटितियों के साथ व्यवहार।

किसी ऐसी भू-संपदा परियोजना की बाबत, जहां सूचना ज्ञापन में ऐसे आबंटितियों के ब्यौरे शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने दावें प्रस्तुत नहीं किए हैं, वहां समाधान योजना में ऐसे आबंटितियों के साथ व्यवहार के लिए उपबंध होगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./712/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 819, तारीख 23 दिसम्बर, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.133, तारीख 23 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2026.

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG135.— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 2, for clause (hb), the following shall be substituted, namely:-

“(hb) “fair value” means the estimated realizable value of the corporate debtor or the assets of the corporate debtor, as the case may be, if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper marketing, and where the parties had acted knowledgeably, prudently, and without compulsion.

Explanation.- *The estimated realizable value of the corporate debtor shall be computed after taking into account the total estimated realizable value of all the assets of the corporate debtor including but not limited to tangible and intangible assets, along-with their underlying synergies.”*

3. In the principal regulations, in regulation 27, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: -

“(1) The resolution professional shall, within seven days of his appointment but not later than forty seventh day from the insolvency commencement date, appoint two sets of registered valuers to determine the fair value and the liquidation value in accordance with regulation 35.”

4. In the principal regulations, in regulation 35, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: -

“(1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner, namely:-

- (a) the set of registered valuers appointed under regulation 27 shall comprise of one registered valuer for each asset class of the corporate debtor and within each set, one registered valuer shall be designated as the coordinating valuer for that set by the resolution professional, in consultation with the committee, for computation of the fair value of the corporate debtor;

Explanation- For the purpose of clause (a), “asset class” means the definition provided under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017;

- (b) the resolution professional shall facilitate a meeting wherein the registered valuers, including coordinating valuers, shall explain the methodology being adopted to arrive at the valuation, to the members of the committee, before computation of estimates;
- (c) each registered valuer shall, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor, submit to the resolution professional and the coordinating valuer of their respective set, a report on the fair value of the assets of the corporate debtor and the liquidation value, computed in accordance with such valuation standards as notified by the Board through circular;
- (d) the coordinating valuer of a set shall compute the fair value of the corporate debtor after considering the fair value of the assets as computed by the registered valuers within that set, along with their underlying synergies, and submit the same to the resolution professional;
- (e) the resolution professional may appoint a third set of registered valuers for submitting an estimate of the fair value and the liquidation value, computed in the manner provided under this regulation, where:
- (i) the two estimates of fair value of the corporate debtor or liquidation value are significantly different, or
- (ii) the committee proposes to appoint a third set of registered valuers for reasons to be recorded in writing;

Explanation- For the purpose of clause (e), “significantly different” means a difference of twenty-five per cent or more in the fair value of the corporate debtor submitted by the coordinating valuer or the liquidation value, as the case may be.

- (f) the average of the two closest estimates of the fair value submitted by the coordinating valuers shall be considered as the fair value of the corporate debtor; and
- (g) the average of the two closest estimates of the liquidation value submitted by registered valuers in each asset class shall be considered as the liquidation value of the corporate debtor.”

5. In the principal regulations, in regulation 35, after sub-regulation (1), the following shall be inserted namely:-

“(1A) A registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular.”

6. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2),

- (i) in clause (a), for the word and mark ‘values.’, the word and mark ‘values;’ shall be substituted.

- (ii) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(aa) Details of receivables of the corporate debtor, including trade receivables, inter-corporate receivables, and receivables arising under any contract;

(ab) Details of joint development agreements and other similar collaboration or co-development arrangements, including rights, obligations, and interests of the corporate debtor arising thereunder;

(ac) Details of assets which are under attachment by enforcement agencies, including particulars of the assets attached, the authority which has attached and the status of such proceedings;”

- (iii) in clause (j), after the words ‘pre-existing facilities’, the mark ‘;’, shall be inserted.

- (iv) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ja) details of all allottees, including their names, amounts due, and units allotted, whose claims are either reflecting in the books of accounts of the corporate debtor or in the records of the Real Estate Regulatory Authority as established under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), but have not submitted their claims to the resolution professional;”

- (v) in clause (k), after the words ‘financial statements’, the mark ‘;’ shall be inserted.

- (vi) in clause (ka), in the proviso, for the mark ‘.’, the mark and word ‘; and’ shall be substituted.

7. In the principal regulations, after regulation 38, the following regulation shall be inserted, namely: -

“38A. Treatment of allottees not filing claims.

In respect of a real estate project, where the information memorandum includes the details of the allottees who have not submitted their claims, the resolution plan shall provide for treatment of such allottees.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./712/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Seventh Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG133, dated the 22nd December, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 819 on 23rd December, 2025.